न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 1062/2012

GCMS Case No. 2012/00169

प्रार्थी :–	**बनाम**	**अप्रार्थी:–**
सरकार जरिये तहसीलदार सोजत		1. उदाराम पुत्र नेमाराम घांची निवासी सोजत 2. भंवरलाल पुत्र नेमाराम घांची निवासी सोजत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 10.7.2024

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार सोजत द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण वक्त बहस अनुपस्थित रहने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोजत II पटवार मण्डल II तहसील सोजत के खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.1600 हैक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.0800 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 एवं खसरा नम्बर 2485/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है।

खसरा नम्बर 2485 के साबिक खसरा नम्बर 552मी है तथा खतौनी बन्दोबस्त 1997 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के अनुसार खसरा नम्बर 552 की भूमि की किस्म गै.मु. नदी दर्ज है। जैर आराजी की भूमि पूर्व में बिलानाम दर्ज थी, उपखण्ड अधिकारी सोजत के फैसला दिनांक 18.04.1983 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 02.08.1983 को स्वीकृत की जाकर अप्रार्थीगण को खातेदार दर्ज किया गया, जो जमाबन्दी सम्वत् 2050–2053 के अवलोकन से स्पष्ट है। जैर आराजी गै.मु.नदी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी सोजत के फैसला दिनांक 18.04.1983 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 02.08.1983 को भी निरस्त करते हुये उक्त भूमि की किस्म पुनः गै.मु.नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

हमने सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम सोजत II पटवार मण्डल II तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के अनुसार खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.0800 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 उदाराम पुत्र नेमाराम एवं खसरा नम्बर 2485/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 2 भंवरलाल पुत्र नेमाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी में दर्ज है। ग्राम सोजत चक नं. 2 तहसील सोजत के खसरा बन्दोबस्त 2025 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.1600 किस्म बारानी प्रथम का गत खसरा नम्बर 552मी तथा किस्म गै.मु.नदी है। जैर आराजी ग्राम सोजत चक नं. 2 की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1997 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के अनुसार गत खसरा नम्बर 552 की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै.मु.नदी दर्ज है। जैर आराजी उपखण्ड अधिकारी सोजत के फैसला दिनांक 18.04.1983 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 02.08.1983 के द्वारा गेवरराम, रामाराम उर्फ रामलाल, हेमाराम, उदाराम, तुलसीराम, भंवरलाल पि. नेमाराम कौम घांची सा.देह खातेदार दर्ज किया गया, जो जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045, जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053 के अवलोकन से स्पष्ट है। नामान्तरकरण संख्या 2069 के द्वारा खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 को खातेदार दर्ज किया गया, जो जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 से प्रमाणित है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2075–2081 के अनुसार खसरा नम्बर 2485/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भूमि अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है।

जैर आराजी ग्राम सोजत चक नं. 2 की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 1997 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 के अनुसार खसरा नम्बर 552 की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै.मु.नदी दर्ज है। जैर आराजी गै.मु.नदी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमिया है। रेफरेन्स मेन्टेनेबल है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित यायिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये दिशा निर्देशों की पालना में जैर प्रार्थना पत्र आराजी की किस्म पुनः पुर्व की स्थिति बहाल किया जाना है। अतः उपखण्ड अधिकारी सोजत के फैसला दिनांक 18.04.1983 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 02.08.1983 विधि विरूद्ध होने से कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपखण्ड अधिकारी सोजत के फैसला दिनांक 18.04.1983 की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 02.08.1983 एवं पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 2069 को अपास्त करते हुए खसरा नम्बर 2485 रकबा 0.0800 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 2485/1 रकबा 0.0800 हैक्टेयर भूमि की किस्म पुनः गै.मु. नदी दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(डॉ राजेश गोयल)
अति.जिला कलेक्टर,पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner